न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./41/2014/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. किशनाराम पुत्र सोनाराम उम्र 34 वर्ष 2. पेमाराम पुत्र सोनाराम उम्र 31 वर्ष 3. हरदानराम पुत्र सोनाराम 25 वर्ष 4. आसी पत्नी सोनाराम उम्र 64 वर्ष 5. जोगाराम पुत्र विरधाराम उम्र 36 वर्ष 6. हड़ुमानराम गोद पुत्र भगाराम उम्र 31 वर्ष 7. गेनाराम पुत्र विरधाराम उम्र 27 वर्ष 8. मालाराम पुत्र विरधाराम उम्र 24 वर्ष 9. तुलसी पत्नी विरधाराम उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासी पूनियों का तला (खारिया) तहसील रामसर जिला बाड़मेर।	बनाम	1.वगतु बेवा भगाराम उम्र 86 वर्ष जाति जाट निवासी पूनियों का तला (खारिया)। 2.कलाराम पुत्र भानाराम उम्र 60 वर्ष। 3.रतनाराम पुत्र भानाराम उम्र 57 वर्ष जाति जाट निवासी धारासर तहसील चौहटन जिला बाड़मेर(राज.)। 4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रामसर के राजस्व वाद संख्या 47/2012 बअनवान किशनाराम वगै. बनाम वगतुदेवी वगैरा में पारित निर्णय व डिक्र दिनांक 11.09.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नृसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 03.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के है। ग्राम पूनियों का तला(खारिया) के खसरा संख्या 164 रकबा 150.04 बीघा, खसरा संख्या 165 रकबा 01.17 बीघा कुल रकबा 152.51 बीघा अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है जिसमें अपीलांटगण संख्या 01 से 04 का 1/4 हिस्सा और अपीलांटगण संख्या 05 से 09 का 1/4 हिस्सा और उतरदाता संख्या 01 का 1/2 हिस्सा और उतरदाता संख्या 01 के 1/2 हिस्से में अपीलांट हनुमान गोद पुत्र भगाराम का 1/2 हिस्सा खातेदारी में है। अपीलांटगण ने अपना हक घोषित करवाने व बंटवाडा करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता/प्रतिवादी द्वारा जबावदावा प्रस्तुत करने पर बिना तनकियात कायम किये और बिना साक्ष्य लिये प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.01.2009 को जारी कर दी, तथा तहसीलदार रामसर से भूमि का विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की बिना जानकारी में लाये तैयार किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई तथा मौके एवं कब्जे के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को बिना सुने व उसकी ओर से उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर एतराज प्रस्तुत करने से महरूम रह गया। उक्त पत्रावली राजस्व न्यायालय सृजित होने की वजह से दिनांक 02.11.2012 को सहायक जिलाधीश रामसर के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दी। उक्त पत्रावली वक्त स्थानान्तरित होने के पूर्व ही अपीलांटगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री नारायणसिंह चौधरी का स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से पत्रावली उक्त न्यायालय में स्थानान्तरित होने व उस पर कार्यवाही होने का अपीलांटगण को ज्ञान नहीं रहा। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरित है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में उतरदाता/प्रतिवादी द्वारा जबावदावा प्रस्तुत करने पर बिना तनकियात कायम किये और बिना साक्ष्य लिये प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.01.2009 को जारी कर दी, तथा तहसीलदार रामसर से भूमि का विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव अपीलांटगण की बिना जानकारी में लाये तैयार किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी की गई। विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तैयार किया गया। तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना नही दी गई तथा मौके एवं कब्जे के प्रतिकूल विभाजन प्रस्ताव बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण को बिना सुने व उसकी ओर से उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर एतराज प्रस्तुत करने से महरूम रह गया। उक्त पत्रावली राजस्व न्यायालय सृजित होने की वजह से दिनांक 02.11.2012 को सहायक जिलाधीश रामसर के न्यायालय में स्थानान्तरित कर दी। उक्त पत्रावली वक्त स्थानान्तरित होने के पूर्व ही अपीलांटगण द्वारा नियुक्त अधिवक्ता श्री नारायणसिंह चौधरी का स्वर्गवास हो गया था। इस वजह से पत्रावली उक्त न्यायालय में स्थानान्तरित होने व उस पर कार्यवाही होने का अपीलांटगण को ज्ञान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नहीं रहा। उतरदाता वगतु देवी ने रजिस्टर्ड गोदनामा के जरिये अपीलांट हनुमानराम को गोद पुत्र के रूप में स्वीकार किया है तब वादग्रस्त भूमि में उतरदाता वगतु देवी के साथ अपीलांट हनुमानराम का भी 1/2 हिस्सा होता है। उक्त हस्तगत वाद में सुनवाई का अवसर नहीं देने की वजह से वह अपनी तरफ से गोदनामा पेश कर अपना हक एवं हिस्सा तय नहीं करवा सका, इसलिए न्यायहित में अपीलांट हनुमान का जबाव दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक एवं उचित तथा न्यायसंगत है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि की दृष्टि एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरित है। अपीलाधीन आदेश आंख बंद कर न्यायिक प्रक्रिया एवं सीपीसी के प्रावधानों को अपनाये बिना विधि के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। वकील अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न दृष्टांत पेश कियाः–

RRT 2017(1) Page 610

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपील से सम्बधित वाद में विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2009 को पारित हुई जिसकी प्रथम अपील अपीलांट ने माननीय न्यायालय व द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में दायर की है और दोनो ही अपीलें खारीज हुई है। तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर प्राप्त होने पर विचरण न्यायालय ने तारीख पेशी दिनांक 22.04.2012 नियत कर पक्षकारान को पूर्व में तैयार प्रस्ताव पर अपना पक्ष उपस्थित होकर पेश करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया अपीलांट संख्या 4 व 9 ने अपने–अपने नोटिस स्वयं ने प्राप्त किये तथा अपीलांट संख्या 01 से 03 का नोटिस उसकी माता श्रीमती आसी व अपीलांट संख्या 06 से 08 के नोटिस उसकी माता श्रीमती तुलछी ने प्राप्त किया जो विचरण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है, एकपक्षीय कार्यवाही तथ्य गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के अनुकुल पारित किया गया है। अपीलांट मामले को लंबा करने की नियत से न्यायालय में गलत तथ्य पेश किये गये है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम उभयपक्ष को अवेदन प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसके अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 09.03.2017 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27

राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त अपील में संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक है ताकि न्यायालय को न्याय करने में सुविधा हो सके। उक्त दस्तावेज अपील प्रस्तुत करने के बाद रेस्पोडेंट एवं जिन के संबंध में अपीलांट द्वारा अपील का आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की जिनके संबंध में यह दस्तावेज रेकर्ड पर लेना आवश्यक है। अतः दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के जबाव में अपीलांटगण ने बताया कि आवेदन के साथ में मानीदेवी द्वारा सहायक जिलाधीश रामसर में पेश वाद से इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है और न ही इस प्रकरण में मानी देवी पक्षकार है। मानी देवी अपना अलग से वाद लाने के लिए स्वंतत्र है जो वगतु देवी से मिलावट करके वाद प्रस्तुत किया गया है इसके अतिरिक्त वगतु देवी ने सिविल न्यायाधीश बाड़मेर में गोदनामे को निरस्त करने का वाद प्रस्तुत किया है जिसका संबंध इस प्रकरण से नहीं है। क्योंकि यह अपील सह खातेदारों के बीच धारा 53 रा0का0अधि0 के तहत बंटवाड़े का वाद के संबंध में है इन दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक एवं उचित नहीं है और न ही इस प्रकरण के निर्णय हेतु सहायक है।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पर विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपीलांटगण की उपस्थिति में पारित नहीं की गई है। दिनांक 26.08.2014 को अपीलांट किसनाराम ने पटवारी हल्का के पास जाकर उपरोक्त खसरों की जमाबंदी व नक्शे की नकल मांगी तो उसमें पक्षकारान के खाते अलग होना मालुम हुआ तो उक्त अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.08.2014 को नकले मांगी तो नकलें दिनांक 01.09.2014 को प्राप्त हुई इस प्रकार ज्ञान की तिथि दिनांक 26.08.2014 को वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्‌भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादीगण द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्‌भाविक नहीं, तथा अपील पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

DNJ 2010(1)(Raj.) Page 400
DNJ 2009(1)(Raj.) Page 215
DNJ 2011(2)(Raj.) Page 903
DNJ 2011(1)(Raj.) Page 422
DNJ 2012(1)(Raj.) Page 278
DNJ 2012(2)(Raj.) Page 781
DNJ 2012(2)(Raj.) Page 1082

अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपीलाधीन निर्णय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 20.01.2013 के अनुसार तहसीलदार रामसर द्वारा विवादित मौका पर जाकर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना होकर By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया गया है। लिहाजा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के आलोक में इस विभाजन प्रस्ताव पर पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 47/2012 बअनवान किशनाराम वगै. बनाम वगतुदेवी वगैरा में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2013 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को वाद में समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य सबूत लेकर तहसीलदार स्वयं से विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड सिद्धांत के आधार पर प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner